"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2017—पौष 1, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सक्षम शर्मा आत्मज श्री प्रत्युष शर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी-रोज-142, तालपुरी, ए-ब्लाक, क्लब हाऊस के पास, रूआबांधा, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों आधार कार्ड में मेरा नाम सक्षम शर्मा (Saksham Sharma) आ. प्रत्युष शर्मा (Pratyush Sharma) दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे जन्म प्रमाण पत्र व मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम सक्षम कुमार शर्मा (Saksham Kumar Sharma) आ. प्रत्युष हरीशचन्द्र शर्मा (Pratyush Harishchandra Sharma) दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम सक्षम शर्मा रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सक्षम शर्मा आ. श्री प्रत्युष शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सक्षम कुमार शर्मा
(Saksham Kumar Sharma)
पिता-श्री प्रत्युष हरीशचन्द्र शर्मा
(Shri Pratyush Harishchandra Sharma)
निवासी-रोज-142, तालपुरी, ए-ब्लाक,
क्लब हाऊस के पास, रूआबांधा, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सक्षम शर्मा
(Saksham Sharma)
पिता-श्री प्रत्युष शर्मा
(Shri Pratyush Sharma)
निवासी-रोज-142, तालपुरी, ए-ब्लाक,
क्लब हाऊस के पास, रूआबांधा, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचरण साहू, आत्मज स्व. गयाराम साहू उम्र 57 वर्ष, जाति तेली, निवासी-प्लाट नं.-8, सड़क नं.-16 ए, दीप अपार्टमेन्ट के पास, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरी पत्नि के आधार कार्ड में उसका नाम सविता कुमारी साहू दर्ज है जो कि सही व वास्तविक है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नि का नाम सविता कुमारी दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी पत्नि का नाम परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/उपनाम श्रीमती सविता कुमारी साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरी पत्नि को सविता कुमारी साहू ध. प. रामचरण साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सविता कुमारी
पति-श्री रामचरण साहू
निवासी-प्लाट नं.- 8, सड़क नं.-16 ए,
दीप अपार्टमेन्ट के पास,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सविता कुमारी साहू
पति-श्री रामचरण साहू
निवासी-प्लाट नं.-8, सड़क नं.-16 ए,
दीप अपार्टमेन्ट के पास,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आरती गुर्जर ध. प. श्री संदीप सिंह गुर्जर, उम्र 40 वर्ष, निवासी-एम. आई. जी.-1/337, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. आरती पटेल आत्मजा स्व. पुनम चंद पटेल था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह 22-01-1999 को श्री संदीप सिंह गुर्जर आत्मज स्व. आनन्द सिंह डोंगरे के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम/उपनाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती आरती गुर्जर रख ली हूं. मेरे पेन कार्ड, परिचय पत्र, एल. आई. सी. पॉलिसी, अन्य पॉलिसी, बैंक पासबुक में मेरा नाम श्रीमती आरती डोंगरे दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड एस. बी. आई. बैंक पासबुक में मेरा नाम श्रीमती आरती गुर्जर दर्ज है जो सही है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती आरती गुर्जर ध. प. श्री संदीप सिंह गुर्जर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. आरती पटेल
पिता-स्व. पुनम चंद पटेल
श्रीमती-आरती डोंगरे
पति-श्री संदीप डोंगरे
निवासी-एम. आई. जी.-1/337,
आमदी नगर, हुडको, भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती आरती गुर्जर
पति-श्री संदीप सिंह गुर्जर
निवासी-एम. आई. जी.-1/337,
आमदी नगर, हुडको, भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार वर्मा आत्मज स्व. लखन लाल वर्मा, उम्र 47 वर्ष, वर्तमान निवासी-46/एच, रिसाली भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम व पो. चंद्रखुरी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा आ. श्री लखन लाल वर्मा दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम दिनेश वर्मा आ. श्री लखन लाल वर्मा दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/उपनाम दिनेश कुमार वर्मा रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिनेश कुमार वर्मा आ. स्व. लखन लाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

दिनेश वर्मा (Dinesh Verma)
पिता-श्री लखन लाल वर्मा
(Shri Lakhan Lal Verma)
निवासी-वर्तमान निवासी-46/एच, रिसाली, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
स्थाई पता-ग्राम व पो.-चंद्रखुरी,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दिनेश कुमार वर्मा (Dinesh Kumar Verma)
पिता-स्व. लखन लाल वर्मा
(Late Lakhan Lal Verma)
निवासी-वर्तमान निवासी-46/एच, रिसाली भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
स्थाई पता-ग्राम व पो.-चंद्रखुरी,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती स्वाति साहू ध. प. श्री ओम प्रकाश उम्र 34 वर्ष, निवासी-म. नं.-583/20, सड़क-10 आशीष नगर पूर्व रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सीता नंद आत्मजा श्री सुपाल नंद था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री ओम प्रकाश साहू के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती स्वाति साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती स्वाति साहू ध. प. श्री ओम प्रकाश साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सीता नंद
पिता-श्री सुपाल नंद
निवासी-म. नं.-583/20,
सड़क-10 आशीष नगर पूर्व,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती स्वाति साहू
पति-श्री ओम प्रकाश साहू
निवासी-म. नं.-583/20,
सड़क-10 आशीष नगर पूर्व,
रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भानु प्रताप त्रिपाठी आत्मज श्री राम आसरे तिवारी, उम्र 52 वर्ष, निवासी- डब्ल्यू क्यू-3, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ. ग.) पिन-492010 का हू. यह कि मैं शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड व बैंक पासबुक में मेरा नाम भानुप्रताप त्रिपाठी दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भानु प्रताप अंकित है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम भानुप्रताप त्रिपाठी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भानुप्रताप त्रिपाठी आ. श्री राम आसरे तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भानु प्रताप पिता-श्री राम आसरे तिवारी निवासी-डब्ल्यू क्यू-3, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ. ग.) पिन-492010	भानु प्रताप त्रिपाठी पिता-श्री राम आसरे तिवारी निवासी-डब्ल्यू क्यू-3, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ. ग.) पिन-492010

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप ड्रोलिया आत्मज श्री नागरमल ड्रोलिया, निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकरनगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम दिलीप कुमार अग्रवाल था तथा यही नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम दिलीप ड्रोलिया रख लिया हूं तथा इस आश्य के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं

अत: अब मुझे दिलीप ड्रोलिया आ. श्री नागरमल ड्रोलिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दिलीप कुमार अग्रवाल पिता-श्री नागरमल ड्रोलिया निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकरनगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	दिलीप ड्रोलिया पिता-श्री नागरमल ड्रोलिया निवासी-एफ-2, बंगला, विधान सभा रोड, अशोकारतन, खम्हारीडीह, शंकरनगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, नारायणपुर (छ. ग.)

नारायणपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2017

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धरा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स. प. ना./परि./2017/630.—कार्यालयीन सूचना पत्र, क्रमांक/स. प. ना./परि./2017/527 नारायणपुर, दिनांक 25-10-2017 द्वारा 03 अकार्यशील एवं निष्क्रीय सहकारी समितियों को कारण बताओं पत्र छ. ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्रेषित किया गया था कि वे सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर साक्ष्य सहित समिति के करोबार की संचालन प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जायेगा.

चूँकि उपरोक्त कारण बताओं सूचना पत्र के जवाब में किसी भी समिति द्वारा उनके कारोबार प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखने संबंधी न तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही किसी प्रकार का निवेदन किया गया है कि समिति को परिसमापन में न लाया जाये. जिससे में इस बात से संतुष्ट हूँ. कि निम्न वर्णित सहकारी समिति भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

क्रमांक	समिति का नाम	समिति का पंजीयन क्रमांक एवं दिनॉक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिंगोड़ीतराई	ए. आर. 06/17-02-2011	नारायणपुर	श्री राजन कौशिक

अतएव मैं बी. एल. पोया, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं नारायणपुर जिला नारायणपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनॉक 04-5-2012 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करते हुए क्रमांक 05 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 01-12-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी की जा रही है.

बी. एल. पोया,
सहायक पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.